राजस्थान विधान सभा

२१वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–२३ दिसम्बर, सन् १९५५ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–५१ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३१७

जनवरी १९५५ के पश्चात निर्मित सहकारी समितियां एवं उनका पंजीयन

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद कितनी सहकारी समितियां बनाई गई ?

(ख) उक्त समितियों में कितनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं ?

(ग) ऐसी कितनी समितियां हैं जिनका एम. सी. एल. अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है ?

(घ) उक्त समितियों के कागजात कितने समय से पेंडिंग हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी विभाग मंत्री)—(क) १२८२ ।

(ख) उक्त समितियों में से ७ समितियां अभी तक रजिस्टर्ड नहीं की जा सकी हैं ।

(ग) ७१ ।

(घ) उक्त समितियों में से १२ समितियों के पत्रादि कर्जे के लिए ३–४ माह से आधीन हैं । शेष ने इस सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया ।

Page No.2

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ की कुछ समितियों का एम. सी. एल. मुकर्रर करने का मामला छः महीने से विचाराधीन है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी, यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ की कितनी ऐसी समितियां हैं जिनका एम. सी. एल. मुकर्रर अब तक विचाराधीन है ?

श्री अमृतलाल यादव—किशनगढ़ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा नहीं था। अलग से पूछेंगे तो अर्ज करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—जो किशनगढ़ की समितियों का मामला विचाराधीन है, उनके विचाराधीन अब तक रहने के क्या कारण हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—विचाराधीन केवल किशनगढ़ के हों, ऐसी बात नहीं। जिन जिन समितियों के विचाराधीन हैं उनमें कोई टेक्निकल खामी रह गई थी उसकी वजह से विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ की समितियों के बारे में टेक्निकल खामी रहने के कारण कोई सूचना नहीं दी गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह माननीय सदस्य का भ्रम है। किशनगढ़ की बात नहीं है, जिन समितियों के मामले पेंडिंग हैं उनमें किशनगढ़ के अलावा भी समितियां हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सभी स्थानों की समितियों का मामला अकारण पेन्डिंग हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—अकारण कोई पेन्डिंग नहीं रहती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ की समितियों के बारे में वहां के इन्सपेक्टर ने तीन-चार रिमाइन्डर्स दिये कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी एम. सी. एल. मुकर्रर किया जाय ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि एम. सी. एल. के मुकर्रर करने कार्यवाही शुरू है, खास खामी की पूर्ति के लिए पेंडिंग होंगे।

श्री चांदमल मेहता—खास खामी की सूचना देना आवश्यक नहीं है क्या ?

Page No.3

श्री अमृतलाल यादव—इन्सपेक्टर ऑफिसर को सूचना देता है। ऑफिसर के ऊपर इन्सपेक्टर नहीं है। इन्सपेक्टर के ऊपर ऑफिसर हैं और वे स्वयं करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—खामी की पूर्ति के लिए सूचना देने का क्या तरीका नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव—कोई तरीके का सवाल नहीं है। उसमें कोई खामी होगी उसको पूरी कर रहे होंगे।

श्री अध्यक्ष—पूरी हो जायगी। श्री भोपालसिंह।

(विराम)

What is this M. C. L. business ?

श्री अमृतलाल यादव—Maximum Credit Limit.

प्रश्न संख्या ३१८

एक्साइज़ इन्सपेक्टर्स के ग्रेड, प्रोमोशन एवं सीनियोरिटी लिस्ट

श्री भोपालसिंह—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में एक्साइज़ इन्सपेक्टर की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या इनकी सीनियोरिटी लिस्ट बनकर आउट हो गई है ?

(ग) क्या सरकार ने इनके ग्रेड प्रोमोशन दे दिये हैं ? अगर हां, तो किस प्रकार से ? क्या उसकी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा की जावेगी ?

(घ) क्या यह सच है कि सिविल सप्लाइज़ के एक टाइपिस्ट को जो सन् ५४ का नौकर है फर्स्ट ग्रेड इन्सपेक्टर में ले लिया गया है ?

(ङ) अगर यह सत्य है तो वह कौन है और क्या खासियत रखते हैं ?

(च) क्या यह भी सच है कि सीनियोरिटी लिस्ट के ३० नम्बर से नीचे के तमाम व्यक्तियों को अभी तक प्रोमोशन नहीं दिये गये हैं जबकि ४१ नम्बर व दीगर असखासान् को प्रोमोशन दे दिया गया है ?

(छ) क्या सरकार इस अनियमितता को दूर कर हकदार को हक देने के लिए पूर्णतया तैयार है ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) राजस्थान के एक्साइज़ निरीक्षकों की संख्या २५५ है ।

(ख) हां, पर यह लिस्ट प्रोवीजनल है और इसके विषय में आपत्तियां मांगी गई हैं, जिनकी जांच होने पर स्थायी लिस्ट शाया की जावेगी ।

(ग) नहीं । कोई स्थायी प्रमोशन नहीं किये गये । अलबत्ता सेकिण्ड ग्रेड के तीन इन्सपेक्टरों को फर्स्ट ग्रेड के रिक्त स्थानों पर आरजी तौर पर ऑफिशियेट करने का अवसर दिया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि इन इन्सपेक्टरों की सिनियोरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । लिस्ट सदन की मेज पर रख देने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जैसा कि प्रश्न 'ग' के उत्तर में कहा जा चुका है कोई स्थायी प्रोमोशन नहीं किये गये हैं ।

(छ) उपरोक्त व्यवस्था में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है जिसको दूर करने के प्रश्न पर विचार किया जावे । सीनियोरिटी लिस्ट को फाइनल करके प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों की स्थायी पूर्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न संख्या ३१९

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यों के ठेके लेने हेतु श्रमिकों की सहकारी समितियों का निर्माण

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य कामों के ठेके लेने के लिए श्रमिकों की कहां कहां सहकारी समितियां बनाई गई हैं ?

(ख) उक्त समितियों में किन किन को कितना एम. सी. एल. स्वीकृत किया गया है व स्वीकृत राशि में से किस किस सहकारी समिति को कितना कितना रुपया दिलाया जा चुका है ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

[श्री अमृतलाल यादव]

(ख) इसका विवरण सूची में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—जिस सूची के बारे में कहा गया है कि सदन की मेज पर रख दी गई, वह सूची मुझे नहीं मिली।

श्री अमृतलाल यादव—सदन की मेज पर रख दी है।

श्री चांदमल मेहता—किसने मेज पर रख दी है ? मुझे तो नहीं मिली, अध्यक्ष महोदय।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपको एतराज क्यों है, गवर्नमेंट हमारी है और परम्परा भी हम लोगों ने रखी है।

श्री चांदमल मेहता—हमारे खुद के भी तो कुछ अधिकार हैं।

श्री अध्यक्ष—(श्री मंत्री महोदय से) सूची आपने हमारे कार्यालय में नहीं दी है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मुझे नोटिस ऑफिस में केवल एक ही सूची मिली है और वह है प्रश्न संख्या ३२१ की। इस प्रश्न की कोई सूची मुझे वहां नहीं मिली।

श्री अमृतलाल यादव—मैं सूची पढ़े देता हूं।

नाम समिति	स्वीकृत एम. सी. एल.	ऋण जो दिया गया
१. बांस उद्योग सहकारी समिति लि० अलवर	५०००	३०००
२. हरिजन लकड़ी उत्पादक सहकारी समिति लि० अलवर	४०००	४०००
३. मज़दूर सहकारी संघ, लि० नगर	५०००	
४. जोधपुर को-ऑपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी जोधपुर	६०००	
५. सूरसागर को-आपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि० सूरसागर	२५०००	
६. युनाइटेड को-आपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि० जोधपुर	२४०००	
७. बड़ी खाटू को-ऑपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी बड़ी खाटू	१००००	
८. मकराना मारबल आर्टिजन को-ऑपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सो० मकराना	१५०००	
९. एग्रीकल्चर मैकेनिकल को ऑपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट एण्ड ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लि० जोधपुर	७२००	

श्री अध्यक्ष—आप इसकी प्रति इनको (माननीय सदस्य को) दे दीजिये।

श्री चांदमल मेहता—यह जो आप रकम बता रहे हैं उसमें एम. सी. एल. कोनसी है और ऋण दिया गया है वह कौन सा है ?

श्री अमृतलाल यादव—पहले जो रकम बताई गई है वह तो एम. सी. एल. है और बाद में जो रकम बतायी गयी है वह है जो ऋण दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन समितियों को जो एम. सी. एल. द्वारा स्वीकृत होती है वह पूरी दे दी जाती है एक साथ या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर किस हिसाब से दी जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव—एम. सी. एल. का मतलब है हद्द कर्जा यानी कर्जे की इतनी हद है अर्थात् ज्यादा से ज्यादा कितना कर्जा दिया जा सकता है। एक दम हद्द पार थोड़े ही कर दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—तो किस प्रकार दिया जाता है, क्या कायदे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—कोई खास नियम तो नहीं हैं, लेकिन मान लीजिये किसी लेबर कान्ट्राक्ट सोसाइटी का हद्द कर्जा १० हजार रुपया तय हुआ है; तो सिर्फ बात-चीत करके यह तय किया जाता है कि तुरन्त इतने रुपये की आवश्यकता है उसमें से उतना रुपया उस समय दे दिया जाता है सरसरी तौर से जांच करके और इसी तरह से जब आगे और जरुरत समझी जाती है तो और रुपया उसी हद्द कर्जे में से दे दिया जाता है। इसका मतलब है एक हद्द उस कर्जे की मुकर्रर कर दी, उस हद्द को काम खत्म होते होते हम सब रुपया दे देते हैं। लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटीज में एक प्रकार से यह डर बना रहता है कि यदि सारी रकम दे दी गई तो फिजूल खर्ची भी हो सकती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार सार्वजनिक निर्माण समितियों को क्या विशेष सुविधायें दे रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। यह कोशिश की जा रही है कि इन्डिवीज्युअल कन्ट्रोक्टर की अपेक्षा सहकारी समितियों को प्रिफरेन्स मिले।

श्री श्रीदास गोयल—सहकारी समितियां अधिकाधिक हों, इस बारे में सरकार द्वारा कोई सक्रिय कदम उठाया गया है, अगर हां, तो वह क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि अब तक जो सहकारी समितियां हैं वह करीब करीब लेबरर्स की ही हैं। इसके लिए पहले ऐसा था कि हमें रिजर्व बैंक से कुछ रुपया मिल ता था और उनके नियमों के अन्तर्गत वह

[श्री अमृतलाल यादव]

रुपया हम सिर्फ लेबरर्स की सहकारी समितियों को ही देते थे, अन्य समितियों को नहीं देते थे। हम यह चाहते हैं कि दूसरी सोसाइटीज का भी निर्माण हो जिसमें मिडल मेन कन्ट्राक्ट के कारण जो एक्सप्लोइटेशन होता है वह मिटे; इसलिए हमने लेबर सोसाइटीज़ का निर्माण शुरू किया। अब इन-को कर्जा देने के लिए हमारे अपने को-ऑपरेटिव बैंक हैं जिसमें लोकल डिपोजिट्स हैं, जिनमें रिजर्व बैंक का प्रबन्ध नहीं हम खुद ही एडवान्स करते हैं। अगर दूसरी प्रकार की सोसाइटीज़ बनाई गई तो जो फंड है उससे काफी सोसाइटीज को रुपया नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हमारा डिपोज़िट बढ़े इसलिए उन्हें चाहिये कि वे इसमें सहयोग दें; ताकि मिडिल मेन का कन्ट्राक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो।

श्री अध्यक्ष—Are these answers or speeches ?

प्रश्न संख्या ३२०

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

प्रश्न संख्या ३२१

राजस्थान के निर्माण के बाद सहकारी विभाग द्वारा विभिन्न यूनिट्स को सबसिडी के रुपये देना

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे -

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद सहकारी विभाग द्वारा किस किस यूनिट को किस किस वर्ष में कितने कितने रुपये सबसिडी के रूप में दिये गये ?

(ख) उक्त रकम किस किस वर्ष में किस किस यूनिट में किस किस काम में लगाई गई ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) व (ख) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है और वह शायद माननीय सदस्य को भी मिल गई होगी।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—सबसिडी किन किन कामों के लिये दी जाती है?

श्री **अमृतलाल यादव**—जिन जिन कामों के लिए समिति बनाई जाती है ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि पंचायत भवन निर्माण के लिये भी कोई सहकारी समिति बनाई गई है ?

श्री **अमृतलाल यादव**—मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री **चांदमल मेहता**—जो सूची दी गई है उसमें पंचायत निर्माण के लिए रकम द गई है, ऐसा लिखा है; वह किस समिति को दी गई ?

श्री **अमृतलाल यादव**—मैंने आपसे निवेदन किया कि जिस जिस काम के लिए समिति बनायी जाती है उनको सबसिडी दी जाती है ।

श्री **चांदमल मेहता**—मेरा सवाल यह है कि पंचायत भवन निर्माण के लिए भी ऋण दिया जाता है क्या, जैसा कि इस सूची में लिखा है ?

श्री **अध्यक्ष**—इस सूची में लिखा है कि उसके लिए दिया गया ।

श्री **चांदमल मेहता**—अभी जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि जिस काम के लिए समितियां बनती हैं उस काम के लिये समिति को ऋण दिया जाता है, तो क्या पंचायत भवन निर्माण की भी कोई समिति है ?

श्री **अमृतलाल यादव**—यह भी कोई लेबर सोसाइटी होगी, उन्होंने कान्ट्राक्ट लिया होगा पंचायत भवन निर्माण का ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या अकाल सहायता के लिए भी सबसिडी देने का कायदा है ?

श्री **अमृतलाल यादव**—मेरे खयाल से अकाल के लिए कोई सोसाइटी नहीं बनती ।

श्री **चांदमल मेहता**—जो सूची मुझे दी गई है उसमें लिखा है कि अकाल सहायतार्थ नाम से रकम दी गई है तो वह किस आधार पर दी गई ?

श्री **अमृतलाल यादव**—जो समितियां बनती हैं वह किसी न किसी काम को करने के लिये बनती हैं; जैसे मकान बनाने के लिए, सडकें बनाने के लिए, लेबर का काम करने के लिए अर्थात् जिस उद्देश्य के लिये सोसाइटी बनती है उसके लिए सबसिडी दी जाती है ।

श्री **चांदमल मेहता**—मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि अकाल सहायता के लिए सहकारी विभाग द्वारा सबसिडी देने का कायदा है क्या ?

Page No.9

श्री अमृतलाल यादव—बिल्कुल नहीं।

श्री चांदमल मेहता—अकाल सहायता के लिये दो-तीन जगह रकम दी गई है, क्या यह सही है ?

श्री अमृतलाल यादव—आप बताइये।

श्री चांदमल मेहता—आपने जो सूची दी है उसके २१,२२ और २३ और २४ को देखिये; आपको पता चल जायगा कि अकाल सहायतार्थ दी गई या नहीं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री सूची पढ़ कर नहीं आये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—पढ़कर आया हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर आपको कैसे पता नहीं, जब कि इसमें लिखा हुआ है अकाल सहायता के लिये रकम दी गई !

श्री अमृतलाल यादव—मैं वह सूची पढ़ दूं जिससे साफ हो जायगा।

२१ मांगली वैटर फार्मिंग सोसाइटी के लिये
२२ मोतीपुरा ,, ,, ,,

यह रकम अकाल सहायतार्थ हो ऐसी बात नहीं, यह वेटर फार्मिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। शायद जिस साल यह सबसिडो दी गई होगी उस साल अकाल पड़ा होगा, इसलिये सबसिडी देने की जरूरत पड़ी होगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन सालों में अकाल की बात कही गई है उन सालों में कोटा में अकाल नहीं था, दूसरे जिलों में था ?

श्री अमृतलाल यादव—मैने जैसा कि आपसे निवेदन किया यह जो रकम मिली है वेटर फार्मिंग के लिये मिली है। वहां पर उस इलाके में उस साल या तो पानी की तंगी होगी या और कोई बात होगी, इसलिये सबसिडी देने की आवश्यकता हुई होगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसकी सहायता कोटा से अधिक जिन स्थानों में अधिक आवश्यकता थी; जैसे बीकानेर आदि उनमें नहीं दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव—जहां से मांग आई वहां हमने दी।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब वहां कोटा में फेमीन बता रहे हैं तो क्या फेमीन कोड के अन्तर्गत वहां फेमीन डिक्लेअर किया गया था ?

श्री **अमृतलाल यादव**—सहकारी समितियां बैटर फार्मिंग की सब्सिडी मांगते हैं तो विचार करते हैं और देते हैं।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी**—तो जब फेमीन डिक्लेअर नहीं किया गया तो भी क्या कोई भी विभाग इस नाम से सहायता दे सकता है?

श्री **अमृतलाल यादव**—सरकार फेमीन डिक्लेअर नहीं करे, फिर भी अगर को-ऑपरेटिव सोसायटी सबसिडी बैटर फार्मिंग के लिए मांगती है तो उसकी उस मांग पर विचार करके हम सहायता दे सकते हैं। हमारे पर नहीं देने का कोई बन्धन नहीं है।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी**—फेमीन के लिये भी एड दे सकते हैं, फिर भले ही गवर्नमेन्ट ने वहां फेमीन नहीं माना हो?

श्री **अमृतलाल यादव**—फेमीन की यह एड नहीं है, मैंने कहा। यह तो बैटर फार्मिंग के लिए सबसिडी है। यह फेमीन की एड नहीं है।

श्री **चांदमल मेहता**—सहकारी समिति के प्रबन्ध के लिये किस आधार पर सब्सिडी दी जाती है।

श्री **अमृतलाल यादव**—आधार की बात बार बार कही जाती है। तो यह आधार कुछ नहीं है। समिति के मैनेजमेन्ट वगैरह का प्रश्न तो सदस्यों पर रहता है। पर समिति को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये सब्सिडी दी जाती है।

श्री **चांदमल मेहता**—तो जिन समितियों को देते हैं वह किस हद तक और किस तरह से, इस बारे में कुछ नियम बने हुए हैं क्या?

श्री **अमृतलाल यादव**—अभी तक तो नहीं बने थे, पर अब नियम बने हैं जो विचाराधीन हैं और शीघ्र ही पास होने वाले हैं।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि बहुत सी सहकारी समितियों ने मांग की थी अपनी व्यवस्था वगैरह चलाने के लिये, अनुदान देने के लिए, पर सरकार की ओर से ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया और वे समितियां इस कारण फेल हो गई?

श्री **अमृतलाल यादव**—हो सकता है ऐसी मांग की हो और वह मुनासिब नहीं समझी गई हो।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी**—क्या यह सही है कि अभी तक नियम नहीं बने होने की वजह से कुछ सहकारी समितियों को नियम नहीं बने होने के आधार पर सहायता देने से इन्कार कर दिया गया और कुछ को नियम नहीं बने हुए होने के बावजूद सहायता दे दी गई?

श्री अमृतलाल यादव—नहीं, ऐसी बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य—क्या भरतपुर से भी इस प्रकार की मांग की गई थी।

श्री अध्यक्ष—अब कर लीजियेगा।

(घंटी)

Next. Question No. 322

श्री अमृतलाल यादव—आई होगी तो विचार हुआ होगा।

प्रश्न संख्या ३२२

तहसील बसवा (जि० जयपुर) में स्थापित सहकारी समितियां

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for Co-operative Department please state-:

(a) What is the total number of co-operative societies in the Baswa Tehsil of Jaipur District?

(b) How many of these societies are functioning effectively and regularly?

(c) Is the Government satisfied with the progress of the work in the Tehsil?

श्री अमृतलाल यादव—(अ) १०

(ब) ६

(स) जी नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अभी आपने फरमाया कि दस इफेक्टिवली फन्क्शन कर रही हैं, तो इनइफेक्टिवली कितनी फंक्शन कर रही हैं?

(हंसी)

श्री अमृतलाल यादव—All are functioning effectively. The question is 'how many societies are functioning effectively and regularly'?

तो इससे इनका मतलब है कि सदस्य संख्या से और उसके दूसरे कामों से।

Page No.12

श्री भैरूंसिंह—जिनका काम असन्तोषजनक है उनके काम को सन्तोषजनक करने के लिए क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री अमृतलाल यादव—असल में तो समिति के सदस्य होते हैं उनकी इमानदारी, इंटिग्रिटी, और उनकी कार्यप्रणाली का सम्बन्ध इससे अधिक रहता है। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि इन सोसाइटियों के स्टाफ को रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर ट्रेन्ड करें और जो आफिशियल्स हैं उनको भी ट्रेन करने की आवश्यकता महसूस की गई है और इस तरह उनको भी ट्रेन करने की कोशिश सरकार कर रही है।

श्री भैरोंसिंह—तो क्या यह सही है कि जिनका काम असन्तोषजनक है वहां उस सोसाइटी के शेयर होल्डरों को मूलधन में से न तो शेयर के रुपये ही मिले हैं, न कुछ और ?

श्री अमृतलाल यादव—राज्य की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ऐसी सोसाइटियां मरें नहीं, जिन्दा रहें और उनको चालू रखने की यथा सम्भव कोशिश सरकार कर रही है।

श्री भैरोंसिंह—जिनका काम असन्तोषजनक है वे जिन्दा हैं या मर गई हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—वे जिन्दा तो हैं, पर स्वस्थ हालत में जिन्दा नहीं हैं ? इसलिये उन्हें स्वस्थ करने की कोशिश की जा रही है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह—क्या आपको यह मालूम है कि यह अस्वस्थता इस हद तक बढ़ रही है कि शेयर होल्डरों को मूलधन का पैसा भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह गई है ? उनका पैसा भी मन्त्री लोग खा गये हैं।

(अट्टहास और शोरगुल होने पर घंटी)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर ! !

श्री भैरोंसिंह—मन्त्री से मेरा मतलब आप से नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Next, Order please !

प्रश्न संख्या ३२३.

वन विभाग के ठेके स्वीकृत कराने हेतु विभिन्न अधिकारियों के अधिकार

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) वन विभाग के ठेके स्वीकृत करने के लिए किस किस अधिकारी को कितने कितने रुपये के अधिकार हैं ?

(ख) चीफ कन्ज़रवेटर ऑफ फोरेस्ट के यहां से कौन कौन ठेके स्वीकार किये जाते हैं।

(ग) १५ नवम्बर, १९५५ को चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट के पास डी. एफ. ओ. जयपुर के हलके व किशनगढ़ सब डिवीज़न के कितने ठेकों के कागजात पेन्डिंग थे ?

(घ) किस किस स्थान के ठेकों के कागज़ात कितने कितने समय तक उक्त कार्यालय में पेन्डिंग रहे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) केवल चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट को एक हजार रुपये तक के ठेके स्वीकृत करने के अधिकार हैं ?

(ख) एक हजार रुपये तक के सब ही ठेके।

(ग) एक भी नहीं।

(घ) जयपुर डिविजन के निम्न स्थानों के ९ लकड़ी कोयले के ठेके व एक कत्थे का ठेका १३.९.५५ को चीफ कन्जरवेटर के यहां पहुँचे और ३०.९.५५ को उन्होंने स्वीकृति हेतु सरकार के पास प्रस्तुत कर दिये।

१ नाल घाटी नंबर ४	२. नीमली वास
३. भदलाव नंबर ४	४. बासोती नंबर ४
५. छुंदाली ओदी की खोह	६. बासोती नंबर ५
७. बाजनी की डूंगरी	८. घामनी वाला नम्बर १
९. घामनी वाला नंबर २	१०. लाहपुर (कत्था)

इसी प्रकार निम्न स्थानों के घास के ठेके १७ व १८ नवम्बर १९५५ को उनके पास पहुंचे और दिनांक २३ नवम्बर सन् १९५५ को उन्होंने स्वीकृति दे दी।

१. मुंडोलाव	२. गोठियाना	३. माला	४. मामोलाव
५. डीडवाडा	६. सरगांव	७. गेठोलाव	८. शिव डूंगरी
९. गोनेर	१०. बगराना	११. विजयसागर	१२. गोविन्दपुरा

(ठेका पाला) १३. बीड महाना (लूम पापड़ी खेजड़ा)

श्री चांद मल मेहता—क्या सरकार और दूसरे अफसरों को भी ठेके देने के अधिकार देने का विचार कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां, यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या सरकार कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट के अधिकारों में वृद्धि करने की बात भी सोच रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—कब तक हो जावेगा ? क्या एक लाख तक का ठेका देने का अधिकार दे रही है सरकार उन्हें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एक लाख तक नहीं दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३२४

धौलपुर असिस्टेंट कस्टम अधिकारी की बिक्री कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति

श्री हंसराज जटिया—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या धौलपुर में असिस्टेन्ट कस्टम अधिकारी नियुक्त था ?

(ख) अगर हां, तो क्या बिक्री कर अधिकारी भी नियुक्त किया गया है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) जी हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) धौलपुर सब डिवीज़न में पुराने सेट अप में असिस्टेन्ट कमिश्नर रक्खा गया था क्योंकि यह इलाका कस्टम की दृष्टि से बोर्डर का होने के कारण महत्वपूर्ण था । अब सेल्स टैक्स की दृष्टि से यह इलाका कस्टम्स के मुकाबले में इतना महत्व नहीं रखता इसलिए वहां बिक्री कर अधिकारी तैनात करना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न संख्या ३२५

सहकारी विभाग ऑडिट इन्सपेक्टर्स की सिनियोरिटी लिस्ट

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सहकारी विभाग में ऑडिट इन्सपेक्टर्स की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त इन्सपेक्टर्स की सीनियोरिटी लिस्ट कब व किस आधार पर बनाई गई तथा उन्हें किस किस ग्रेड में रक्खा गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) ३५।

(ख) राजस्थान निर्माण के समय सिर्फ ६ ऑडिटर्स कार्य कर रहे थे। उनकी सीनियोरिटी लिस्ट एकीकरण के समय नियमानुसार बनाई गई थी। शेष नये हैं, जिनकी सीनियोरिटी लिस्ट अभी नहीं बनाई गई है।

(ग) १६ इन्सपेक्टर्स को द्वितीय ग्रेड में व १२ को तृतीय ग्रेड में रखा गया है। शेष ४ जो कि विकास योजना के अन्तर्गत रक्खे गये हैं वे अभी ऑडिटर्स के पुराने ग्रेड में ही हैं अ[illegible] इन्सपेक्टर्स का ग्रेड देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—यह राजस्थान के निर्माण के बाद ऑडिटर्स जो लिए गये उनकी सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनाने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—सब का एक साथ है मामला और वह विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—यह विचार कब तक समाप्त होकर उनका फैसला हो जावेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—जल्दी होना चाहिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—उसमें अनुसूचित जाति के कितने हैं।

श्री अमृतलाल यादव—वैसे तो यह प्रश्न पूछा नहीं गया है। अगर अलग से पूछेंगे तो जवाब देंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो क्या यह सही माना जावे कि इनकी नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातिवालों का ख्याल नहीं रक्खा गया ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Next. आप जवाब देंगे और डिफिकल्टी में पड़ जावेंगे। जो सम्बन्धित नहीं है उसका भी अगर जवाब देंगे तो उस पर और सप्लीमेंटरी होंगे और आप जवाब नहीं दे पावेंगे। And if the Hon'ble Minister is prepared to reply to supplimentaries which are not relevent, then I am prepared.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इससे तो हम आफत में पड़ जावेंगे।

प्रश्न संख्या ३२६

धौलपुर सब डिविजन में वनों को सुरक्षित रखने के लिए हद-बंदी एवं पशु चराने हेतु भी सुरक्षित वन

श्री हंसराज अटिया—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या धौलपुर सब डिविजन में वनों को सुरक्षित रखने के हेतु सीमा बन्दी की चुकी हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से स्थानों पर ?

(ख) क्या पशुओं के चरने के लिए भी सुरक्षित स्थान रखा गया है ? यदि नहीं, तो पशुओं के चरने के लिए क्या तजवीज़ रखी गई है ?

(ग) जिन जिन स्थानों की सीमा बन्दी की जा चुकी है वहां का क्या परिणाम हुआ है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि डांग एरिया की जनता के पशुओं पर पुन्छी लगाई जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें इससे मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—(क) जी नहीं, सीमा बन्दी हो रही है।

(ख) पशुओं के चरने के लिए विशेष सुरक्षित स्थान रखना आवश्यक नहीं है। सुरक्षित वन में ही चरने दिये जाते हैं।

(ग) "क" के उत्तर से प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ३२७

रीयां बडी, तहसील मेड़ता, के माता जी की ओरण व किला की डूंगरी के बन को पत्थर के ठेकेदार द्वारा नष्ट करना

श्री भोपालसिंह:—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को रीयां बड़ी तहसील मेड़ता के माताजी की ओरण व किला की डूंगरी के बन को पत्थर के ठेकेदार द्वारा नष्ट किये जाने की रिपोर्ट गुजिश्ता साल में पेश की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(ग) क्या आशा की जाय कि इस बारे में शीघ्र ही तहकीकात की जावेगी और जिसने वन को उजाड़ा है उसे सजा दी जावेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री) : (क) जी हां ।

(ख) कलेक्टर नागोर एवं डिविजनल फोरेस्ट ओफिसर, जोधपुर से रिपोर्ट मांगी गई है ।

(ग) जी हां । जांच की जा रही है, उत्तर अभी नहीं आया है । जांच से जो दोषी ठहरेगा उसके निस्बत अवश्य उचित कार्यवाही की जावेगी ।

प्रश्न संख्या ३२८

चित्तौड़गढ़ जिले की कुछ तहसीलों में हलके आबादी जंगल की घोषणा

श्री जगतसिंह झाला—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की कुछ तहसीलों में हलके आबादी जंगल घोषित की गई ? यदि हां, तो कौन कौन सी व किस आधार पर ?

(ख) क्या यह सच है कि जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील कनेरा का हलका आबादी जंगल घोषित किया गया है यद्यपि वहां पर कोई पहाड़ नहीं है ?

(ग) क्या पास ही पहाड़ी इलाका विजयपुर का है किन्तु उसको जंगल घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ३२१

राजस्थान में सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना-विशेषतया किशनगढ़ में

श्री चांदमल मेहता—क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स कहां कहां स्थापित किये जा चुके हैं ?

(ख) क्या किशनगढ़ में भी इस प्रकार का कोई बैंक है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)—(क) अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा ।

(ख) नहीं ।

(ग) बैंक वहां खोले जाते हैं जहां सहकारी समितियां काफी हों ताकि कर्जों के आव जाव से बैंक का खर्चा पूरा हो सके । इस समय जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक से किशनगढ़ सर्किल की समितियों को ऋण दिलाया जा रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ में एक तरह का बैंक था जिसकी पूंजी उड़ा दी गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—क्या फरमाया ?

श्री चांदमल मेहता—क्या किशनगढ़ में एक तरह का बैंक था जिसकी पूंजी उड़ा दी गई है ?

श्री भैंरूसिंह—उड़ाने का क्या मतलब ?

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किशनगढ़ में एक बैंक था जिसकी पूंजी लेकर भाग गये ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मेरी जानकारी में नहीं हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—हां, अवश्य जांच करायेंगे।

प्रश्न संख्या ३३०

पुलिस चौकी समरानियां, जिला कोटा, का भवन एवं उसका स्वामित्व

श्री लालबहादुर सक्सेना—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) क्या पुलिस चौकी समरानियां जिला कोटा की कोई सरकारी इमारत है ?

(ख) अगर नहीं, तो चौकी किस इमारत में है और उस इमारत का मालिक कौन है ?

(ग) वह इमारत किस लिये बनाई गई थी और उसका मकसद पूरा हो रहा है या नहीं ?

(घ) क्या सरकार चौकी का अलग इन्तजाम करके मौजूदा इमारत को खाली करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) पुलिस चौकी शाहबाद के श्री गुलाबचन्द महाजन की एक धर्मशाला में स्थित है।

(घ) इमारत के स्वामी ने १९५० में पुलिस द्वारा इस पर अधिकार करते समय कोई एतराज नहीं किया, किन्तु १९५१-५२ में पुलिस अधिकारीयों से इसे खाली करने के लिये कहा।

(ङ) इसके स्वामी ने धर्मशाला की तरह प्रयोग होने के लिये इसका निर्माण किया था किन्तु अब इस उद्दश्य की पूर्ति नहीं हो रही है।

(च) दूसरे स्थान का प्रबन्ध होते ही धर्मशाला खाली करदी जावेगी।

श्री लालबहादुर सक्सेना—दूसरी इमारत का इन्तजाम कब तक होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—नेक्स्ट बजट में।

प्रश्न संख्या ३३१

श्री अध्यक्ष—श्री नारायणलाल (**अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ में देखिये**)

प्रश्न संख्या ३३२.

डी. एफ. ओ. जोधपुर के स्थानान्तर को रोकने का कारण

श्री छतरसिंह—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सही है कि डी. एफ. ओ. जोधपुर का तबादला किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो किस कारण से तबादला रोका गया है ?

(ग) क्या सरकार इनका तबादला शीघ्र ही करने का विचार कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) प्रशासकीय कारणों से।

(ग) वर्तमान में कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—तबादला किस कारण से किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्रशासकीय कारणों से।

श्री भैरूंसिंह--फिर रोका क्यों गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह उचित समझा गया कि फिलहाल न किया जाकर बाद में किया जाय क्योंकि उक्त ओफिसर के लडके लडकियां जोधपुर कालेज में सेकेन्ड इयर में पढ़ते हैं।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सच है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत थी, इसलिये किया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सवाल नं. ३२० रह गया है।

श्री अध्यक्ष—उसको जाने दीजिये।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री राधाकृष्ण मारू (११६) ने दिनांक २१. ११. १९५५ से सत्र के अंतिम दिन तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की सुसज्जा समिति के सदस्यों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—सदन की गेलेरीज़ और उनकी सुसज्जा के लिये जिस कमेटी की स्थापना के लिये चर्चा हुई थी उस कमेटी के १० सदस्यों की घोषणा मैं अभी किये देता हूं और ५ की बाद में करूंगा। ये दस सदस्य निम्न होंगे:

१. नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष

२. श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री

३. श्री बृजसुन्दर शर्मा, वित्त मंत्री

४. श्री देवीसिंहजी, एम. एल. ए.

५. श्री जसवन्तसिंहजी, एम. एल. ए.

पांच एसोसियेट मेम्बर होंगे उनके नाम हैं:

६. श्री डी. एन. गुप्त

७. श्री पी. जी. मेहता

८. प्रोफेसर श्री जे. एम. घोष

९. डाक्टर श्री सत्यप्रकाशजी

१०. कुंवर श्री जगतसिंहजी

पांच नाम जो रह जाते हैं उनके लिये सदन की आज्ञा से मैं अधिकार लिये लेता हूं। उनके नामों की घोषणा बाद में करदी जावेगी।

सदन की मेज पर रखी गई राजस्थान मोटर वाहन नियमावली, १९५१ के अन्तर्गत गृह विभाग की विज्ञप्ति

श्री रामनिवास मिर्धा—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर वेहिकल्स रूल्स, १९५१ में गृह विभाग विज्ञप्ति संख्या एफ. १० (५) ३ गृह २।५३, दिनांक २७ अक्टूबर, १९५५ द्वारा जो संशोधन किया गया है उसे सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान उत्पाद भाटक नियमन (संशोधन) विधेयक, १६५५ (वापिस लेना)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रोड्यूस रेट्स रेगुलेटिंग एक्ट, १६५१ का संशोधन करने के लिये विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान प्रोड्यूस रेट्स रेगुलेटिंग एक्ट, १६५१ का संशोधित करने वाला विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता। वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रोड्यूस रेट्स (अमेन्डमेन्ट) बिल को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—सस्ते ही निपट गये।

श्री दामोदरलाल व्यास—That was only formal.

राजस्थान राजगामी सम्पदा नियमन विधेयक, १६५५

श्री दमोदारलाल व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजगामी संपदा बिल को विचारार्थ लिया जाय।

कार्य-सूची के अनुसार सदन में कार्य लेने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री चांदमल मेहता—ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, यह जो सूची आज के प्रोग्राम की प्रकाशित की गई उस में यह दिया गया है कि उपरोक्त आइटम नं० १, २ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल के पश्चात् लिया जायगा। इसी के अनुसार काम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने शायद इसको पढ़ा नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इस बिल को विचारार्थ लेने की सूचना अब मिली है। इस पर राय देने के लिये न तो हम बिल साथ में लाये हैं, न अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं। किसी बिल को पास करवाने के लिये तुरन्त सूचना देना और ताकीद में पास करवाना अच्छी चीज नहीं होगी और कन्वेन्शन के खिलाफ चीज होगी। कल ही अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया था कि केवल राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के ऊपर जो अमेन्डमेन्ट है उसी को लेकर हाउस को एडजोर्न कर दिया जायगा। अब फिर यह बीच में कहां से आ गया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा

[श्री भैरोंसिंह]

कि इसको अभी न लेकर टिनेन्सी एक्ट के अमेन्डमेन्ट को लिया जाय। यदि इसके बाद आता है तो अगले सेशन में इसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Defer to the next session ?

I have no objection if it is deferred to the next session.

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसके अलावा मैं एक बात पूछना चाहता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कि यह बिल तो सिलेक्ट कमेटी को दिया गया था फिर पहले ही कैसे आ गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सिलेक्ट कमेटी में हुआ नहीं जिसका कारण मैंने पहले बतला दिया था, उस रोज आप आये नहीं थे। I have reported to the House.

श्री अध्यक्ष—We should take first the Tenancy Bill.

राजस्थान कृषि भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १६५५. (प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास—Very well. माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Very charitable mood.

श्री दामोदरलाल व्यास—आज माननीय विरोधी दल के नेता का सुझाव था कि टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, इसलिये मैंने खुद ने ही मूव कर दिया कि यह टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय; तो अब उन्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I am in difficulty. The Treasury Benches or those who are piloting the business of the House. They had intimated me that the Bill will be taken into consideration and accordingly I had fixed the order paper for that. Had I known that it would be referred to the Select Committee I would have adjourned the House yesterday.

The Minister in charge of the Bill has intimated and accordingly it has been circulated that the Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill will be taken for consideration. So the Minister in charge will move only for consideration motion and if the House wants to bring an amendment for referring to the Select Committee, he might accept it.

श्री दामोदरलाल व्यास—I only moved for referring to a Select Committee in order to avoid discussion and just to save time. If it is for consideration, then I move......

श्री अध्यक्ष—Then our position becomes very awkward. We adjourn after sitting for an hour ! Otherwise we should, take the Escheats Regulating Bill. Something we should transact.

श्री दामोदरलाल व्यास—I am moving for consideration, Sir......

कु० श्री जसवन्तसिंह—You cannot blow hot and cold at the same time.

श्री दामोदरलाल व्यास—It is only to accommodate you that I moved it.

श्री अध्यक्ष—No, no. The minister has superseded the right of members. I have received a motion for referring to Select Committee by one Member.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—There is a motion for referring this Bill to Select Committee by Mr. Bhatnagar. There is another by Shri Jawan Singh. There are two motions for referring it to a Select Committee, and it is due to convenience perhaps......

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—यह शराफत की बात है ।

श्री अध्यक्ष—So when this is referred to Select Committee, the discussion on the "principles stage" is passed over. So I put the question. The Rajasthan Tenancy Amendment Bill, 1955, be referred to a Select Committee. अब इसमें नेम्स हैं वे दे दें, फिर तो हाउस मीट नहीं करेगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर—Deputy Speaker, Chairman.

श्री भैरूंसिंह—On a point of order, Sir, यदि कोई सदस्य, जो यह प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव आया है, उसके विरोध में कहे तो उसको कहने का अधिकार होना चाहिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर—पहले मैं अपना मोशन तो मूव कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—Let the motion be moved. We take it from Mr. Bhatnagar

श्री भैरूंसिंह—इसको विचारार्थ लिये जाने में दिक्कत आती है, पहले मन्त्री महोदय ने जो प्रवर समिति को रेफर करने का प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लें, फिर यह प्रस्ताव होना चाहिये ।

Page No.25

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको विद्ड्रा करने की मंजूरी सदन से लेनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I object to his moving that, I do not allow.

कु० श्री जसवन्तसिंह—He has moved.

श्री अध्यक्ष—I do not take it as moved.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—एक बात मैं नहीं समझा I think it is perfectly within my right to move that the Bill be referred to a Select Committee. Before I move that it may be taken for consideration. The only objection that can be taken is that on the agenda it is there for consideration, therefore I cannot move it. So when the Speaker himself has taken objection the question of my withdrawing it does not arise at all.

श्री अध्यक्ष—We take that this motion has been tabled for consideration and now Mr. Sohanlal Bhatnagar will move his amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव है कि यह टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल एक सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय जिसके सदस्य ये हों :

१ श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष
२ श्री दामोदरलाल व्यास (प्रभारी मंत्री)
३ एडवोकेट जनरल
४ श्री गोपीलाल यादव
५ श्री श्रीदास गोयल
६ श्री लाल बहादुर
७ श्री श्यामलाल गोयल
८ श्री सोहनलाल भटनागर
९ श्री नाथूराम मिर्धा
१० श्री मथुरादास माथुर
११ श्री श्रीगोपाल भार्गव
१२ श्री रामरतन टिक्कीवाल

Page No.26

[श्री सोहनलाल भटनागर]

१३ श्री बलवीरसिंह

१४ श्री रोशनलाल

१५ श्री हरदेव जोशी

१६ श्री छीतरलाल

१७ श्री जवानसिंह

१८ श्री वेदपाल त्यागी

१९ श्री जगतसिंह झाला

२० श्री शंभूसिंह

२१ श्री हिम्मतसिंह. (६१)

श्री अध्यक्ष—why not include one Bhairon Singhji also ?

श्री सोहनलाल भटनागर—इनका नाम इसलिये नहीं रखा है कि फिर उन्हें बोलने का राइट नहीं रहेगा।

श्री हिम्मतसिंह—मेरी जगह श्री भैरोंसिंह का नाम रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप अपनी जगह रहिये, उनको उनकी जगह रहने दीजिये, उनका नाम भी होने दीजिये।

श्री **भैरोंसिंह**—आवश्यकता नहीं है।

श्री **अध्यक्ष**—These are all formal matters.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल पेश किया है उसके स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा हुआ है कि इसमें एरर्स, इन्कोन्सिस्टेन्सीज़ और डिफेक्ट्स हैं। इन एरर्स को निकालने के लिए जरूरी है कि सेलेक्ट कमेटी में बैठ कर ठंडे दिमाग से देखें और उनको दूर किया जाय। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि सदन इसे मंजूर करे।

श्री **अध्यक्ष**—Motion moved. अब भी कुछ कहना है क्या ?

श्री **भैरोंसिंह**—इसमें मेरा नाम रख लिया गया है, इसलिये अब कुछ नहीं कहना है।

श्री **अध्यक्ष**—This Select Committee should present its report before the first day of the meeting of the next session.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—वापिस कहें साहब, सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—This is the time. This Select Committee will submit its report on the first day of the meeting of the next session. तो प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(विराम)

Yes, No. 2. Escheats Regulation Bill

(विराम)

I may announce the names of the members of the Select Committee on the Tenancy (Amendment) Bill once more:-

Deputy Speaker.
Revenue Minister.
Advocate General.
Shrj Gopilal Yadav.
,, Sridas Goel.
,, Lal Bahadur.
,. Syamlal Goel.
,, Sohanlal Bhatnagar.
,, Nathuram Mirdha.
,, Mathura Das Mathur.
,, Srigopal Bhargava.
,, Ramratan Tikkiwal.
,, Balbir Singh.
,, Roshanlal.
,, Hari Dev Joshi.
,, Chhitarlal.
,, Jawan Singh.
,, Vedpal Tyagi

Page No.28

[श्री अध्यक्ष]

,, Jagat Singh Jhala.

,, Shambhu Singh.

,, Himmat Singh.

,, Bhairon Singh (16).

,, Rao Raja Siardar Singhji.

राजस्थान राजगामी सम्पदा नियमन विधेयक, १६५५ (नई प्रवर समिति को)

So we take now the Escheats Regulation Bill

श्री दामोदरलाल व्यास—May I move again, although I have moved it, or it may be taken as moved.

श्री अध्यक्ष—आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—It may be taken for consdieration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो निवेदन किया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—We must justify our sitting of to day.

श्री भैरोंसिंह—लेकिन हमें और भी काम करना है; प्रोग्राम बनाना है जो जल्दी जल्दी में सोचा करते हैं; कानून बनाने के बारे में इस तरह इसे जल्दी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग बिल और अमेंडमेंट की कॉपीज़ वगैरह अपने साथ नहीं लाये हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो कई दिनों से आ रहा है एजेन्डा पर।

श्री भैरोंसिंह—आपने कल यह कहा था कि कल टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक के अलावा कुछ नहीं लिया जावेगा इसलिए....

श्री अध्यक्ष—This is only consideration motion.

श्री भैरोंसिंह—हमारे पास बिल की कॉपी भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is not conversant with any other device.

श्री भैरोंसिंह—मैं मानता हूं कि जिस तरह से आप आज्ञा दें उसी प्रकार कार्य हो सकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, आज माननीय मन्त्री बहुत चेरिटेबल मूड में हैं। मैं समझता हूं कि पहले की तरह इसको भी मंजूर कर लें तो अच्छा हो।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह एजेन्डा में है और इसकी सूचना मिल चुकी है इसलिए इसको ले लिया जावे। यह सिलेक्ट कमेटी से आया है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इसको ले लिया जावे। इसके लिये मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इसको वापिस उसी सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जावे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं भी इसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री जवानसिंह—मैं सदन के सामने जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने सदन में निवेदन किया कि इसको प्रवर समिति के सामने रखा गया था; हो सकता है कि इसको प्रवर समिति के सामने रखा गया हो लेकिन उस कमेटी के सामने कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जिससे जिस परपज़ के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया उस परपज को पूरा करने का मौका ही मिला, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने सदन में बताया कि इस बिल पर एक दिन भी विचार नहीं किया गया। मैं यह कहूँगा कि माननीय सदस्यों ने समय पर उपस्थित नहीं होकर इसके साथ अन्याय किया है। उन्होंने समय पर उपस्थित न होकर कोई इस पर विचार नहीं किया। इसलिये बेहतर यह होगा कि इसके लिये वे खुद सदन में प्रश्न उठाते। चूंकि उस सिलेक्ट कमेटी में उस पर कोई विचार नहीं हुआ है इसलिये इसको वापिस उसी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे। जब तक हाउस या मंत्री इसको किसी दूसरी सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजें तब तक हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इसको उसी प्रकार समिति के सामने इसको भेजें और उसकी राय आने के बाद ही इसको सदन में लावें। अतः मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन को इसे वापिस उसी प्रवर समिति के सामने भेजना चाहिये ताकि जितनी कमियें हैं उन पर विचार किया जा सके और वह कमेटी अपनी राय के साथ इसको पेश करे ताकि सदन इस स्थिति में आ सके और इसको पास कर सके।

श्री मथुरादास माथुर—आप, इसमें क्या खामियें हैं, उनको तो जरा बतला दीजिये।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब उसी दिन मिल गया जिस दिन यह प्रश्न प्रवर समिति में भेजने के लिये आया था। अगर उस दिन की तमाम बातों को भूलते हैं तो प्रोसिडिंग्ज़ की प्रतियां रखी जाती हैं उनको सबको वापिस दोहराने की जरूरत पैदा होगी।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको उसी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र ने यह फरमाया कि इसको वापिस उसी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें अभी एक घन्टा भी यहां,

[श्री श्रीदास गोयल]

बैठे हुए नहीं हुआ है और इत्तफाक से टीनेन्सी एक्ट बिल ड्रोप हो गया इसलिए हमें यहां पर बैठ कर कुछ काम करना चाहिये, ताकि हम हमारे यहां का एग्जिस्टेन्स ठीक तरह से साबित कर सकें। इसलिए जो कुछ दलीलें माननीय मित्र ने दीं उसके लिये मुझे यह कहना है कि सिलेक्ट कमेटी को यह पहले सुपर्द किया गया था और जब मीटिंगें बुलाई गईं तो कोरम पूरा नहीं होने की वजह से कठिनाइयें आई और काम नहीं हो सका। यह बिल कितना अहम है इसकी अहमियत को देखते हुए कि राजस्थान जो इतना लंबा चौड़ा है, उसकी क्या अहमियत है, इसको दुबारा उसी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने से क्या फायदा होगा? यह एक छोटा सा बिल है और राजस्थान निर्माण के बाद कई छोटी स्टेटों में यह कानून था। राजस्थान बना उसके बाद हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं तो क्या कारण है कि इसको न करें और इसको लंबे समय के लिये एडजोर्न करें और इस प्रकार के रास्ते को अपनावें; तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं होगा। इसको सेन्टर से पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिये आपको इसे ले लेना चाहिये और प्रवर समिति में भेजने की क्या जरूरत है? अगर आपको कोई किसी प्रकार की आपत्ति हो तो आप ओफिस से मदद ले लें।

श्री **मथुरादास माथुर**—Opposition

श्री **भैंरूसिंह** (१६)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को नई सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे।

माननीय अध्यक्ष, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया कि इसको उसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे और उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि सिलेक्ट कमेटी ने इस संबन्ध में इस पर बिल्कुल विचार नहीं किया। सवाई माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया कि कोरम पूरा नहीं हुआ और इस वजह से बैठकें नहीं हो पाई। ऐसी सूरत में मुझे भय होता है कि अगर उसी सिलेक्ट कमेटी में, जिसमें न तो इस पर विचार हुआ और न माननीय सदस्यों ने भाग ही लिया और दिलचस्पी दिखाई, इसलिये यह आवश्यक है कि इसको दूसरी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे और सिलेक्ट कमेटी में ऐसे व्यक्ति लिये जावें जो कानून बनाने में दिलचस्पी रखते हों और दिलचस्पी लेकर इस कानून को पास करा सकते हों। डीडवाने से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ यह भी जानकारी चाही थी कि बिल में ऐसी कौनसी चीज है जिसके कारण इसमें कुछ विचार इस समय न लिये जाकर प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। यह बिल उस संपत्ति के बारे में अधिकार देने के संबन्ध में है जो लावारिस कही जा सकता है; जिस पर किसी का हक नहीं हो। उस पर सरकार किस प्रकार से कब्जा कर सकती है? किस प्रकार की संपत्ति को लावारिस समझी जाए, इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाई जाये; इसके पहले हमें सोचना होगा कि जो व्यवस्था इसके लिये हम कर रहे हैं वह उचित है या नहीं। इसके लिये हमने रखा है कि अगर किसी तहसीलदार को सूचना मिलती है कि अमुक जगह कोई ऐसी संपत्ति है जिसका जायज वारिस नहीं है, वह किस ढंग से कार्यवाही करेगा, तहसीलदार को इत्तिला मिली, वह समेरी इन्क्वायरी करेगा और उसके

[श्री भैरूं सिंह]

लिये कोई सबूत होगा उसको लेगा। अगर समेरी इन्क्वायरी से ऐसा मान लेता है कि उस संपत्ति के बारे में कोई नजदीकी वारिस कब्जा करने वाला नहीं तो उसी वक्त जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसकी सूचना पर चाहे वह समेरी इन्क्वायरी करे या न करे लावारिस संपत्ति के संबन्ध में, उसको लावारिस करार दे सकता है। इसलिये सरकार को लावारिस संपत्ति के संबन्ध में जो कुछ कार्यवाही करनी चाहिये और करनी लाजिमी हो की जावे।

तो फिर वह कहेगा कि उसमें यह है, उस सम्पत्ति में ऐसी चीजें हैं जो जल्दी से जल्दी नष्ट हो सकती हैं; जैसे जानवर हैं, जैसे कोई चारा है, जैसे खेती है, जैसे अन्य कोई चीजें हैं, जो चीजें जल्दी से जल्दी नष्ट हो सकती हैं तो तहसीलदार को अधिकार होगा कि जांच करे या न करे और अगर उसको विश्वास हो जाता है तो वह उसको डिस्पोज़ ओफ कर देगा, उसकी मर्जी के अनुसार उसको डिस्पोज़ ओफ कर देगा, बाजार में मर्जी चाहे जैसे बेच सकता है। आदमी मर जाते हैं, कइयों की सम्पत्ति ऐसे ही रह जाती है, खेती रह जाती है, उस पर जायज कब्जा करने में लोगों में झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता हैं, किसी मतभेद के कारण उस पर जबर्दस्ती कब्जा कर लें, ऐसा नहीं नहीं होता है। ऐसा होता है कि मतभेद रखने वाले व्यक्ति भी उस सम्पत्ति का ठीक प्रबन्ध करते हैं लेकिन हमने तहसीलदार को पॉवर्स दे दिये हैं कि समेरी इन्क्वायरी करे। चारा है, मवेशी है, धन है, जल्दी से जल्दी तलब होंगे और वह अपनी मर्जी से ओक्शन के जरिये से दूसरों को नीलाम कर देगा। ओक्शन का भी माननीय अध्यक्ष, इस कानून में देखें तो एक अजीब तरीका है। यह पब्लिक ओक्शन नहीं है। ओक्शन से पांच आदमियों को इकट्ठा कर लिया, जिसकी सूचना नहीं कि अमुक संपत्ति नीलाम होगी, जो लावारिस संपत्ति मानी जा रही है उसको तहसील के हैडक्वार्टर पर या उस स्थान पर जहां लावारिस सम्पत्ति है उसको नीलाम किया जायगा। इसका जिक्र नहीं, लेकिन तहसीलदार को खुली छुट दे दी कि तुम चाहो, जिस ढंग से चाहो नीलाम करो। उसका नतीजा यह होगा माननीय अध्यक्ष, जैसी कि सदन में आये दिन चर्चा होती है उसका नीलाम हो जायगा; जैसी कि कहावत है

"मामा को विवाह और मां परोसने वाली"

सरकारी अधिकारी बेचने वाले हैं और सरकारी पोषक खरीदने वाले हैं।

हमने पॉवर्स दे दिये, उनके फैसलों की अपील हो सकती है। कलेक्टर के पास अपील हो सकती है, कलेक्टर के खिलाफ कमिश्नर के पास हो सकती है।

इस प्रकार के काम्प्लिकेटेड प्रोसिजर से गरीब आदमी लाभ नहीं उठा सकते। ऐसी बात संभव नहीं है। तहसीलदार की अपील जायेगी कलेक्टर के पास, फिर कलेक्टर की अपील जायगी कमिश्नर के पास। यदि तहसीलदार ने किसी वस्तु को राजगामी संपत्ति नियमन विधेयक के अन्तर्गत राजगामी संपत्ति मानकर जब्त कर लिया तो वह सूचना देगा कलेक्टर को और कलेक्टर अपनी

[श्री भैरूंसिंह]

रिपोर्ट कमिश्नर के पास भेज देगा और कमिश्नर या तो कलेक्टर की रिपोर्ट को एप्रूव कर लेता है और नहीं करता है और कुछ बात उसमें उसको मालूम होती है तो फिर दुबारा जांच के लिए वह कलेक्टर के पास भेज देगा। इस तरह से कलेक्टर के पास दुबारा वह जांच के लिए आ जायगी। फिर कलेक्टर कमिश्नर के पास भेज देगा और फिर भी कोई रास्ता नहीं निकलता है तो डिस्ट्रिक्ट के ज्युडिशियल जज के पास भेजेंगे, जो कि ज्युडिशियल पाईन्ट ऑफ व्यू से सोच कर निर्णय दे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तहसीलदार के पास मामला जायगा, तहसीलदार के बाद में फिर कलेक्टर के पास जायगा, कलेक्टर के बाद में फिर कमिश्नर के पास जायगा और उसके बाद फिर ज्युडिशियल कोर्ट उसका निर्णय करेगी। ज्युडिशियल कोर्ट में यदि फैसला हक में नहीं होता है, ज्युडिशियल कोर्ट यह फैसला देती है कि उस संपत्ति के ऊपर राजगामी संपत्ति नहीं होने से सरकार का कब्जा नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा ? जो खर्चा हुआ है आज तक उस सम्पत्ति के संरक्षण में कोर्ट ऑफ वार्ड्स से उसकी रक्षा के लिए, पशुओं को चराने के लिए, उनको तवज्जह रखने के लिए, जो खर्चा हुआ है वह उस व्यक्ति से वसूल किया जायगा जिसने दावा किया है ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सदन में कई वकील सदस्य हैं; इस बात का ध्यान रखेंगे कि कलेक्टर के पास और कमिश्नर के पास पैरवी होगी, ज्युडिशियल कोर्ट में जायगा तो वहां भी पैरवी करनी होगी और जो खर्चा होता है आज-कल मुकदमों में वे सब जानते हैं, और जब तीन-चार स्थानों पर उनको लड़ना पड़ेगा तो उन व्यक्तियों का क्या हाल होगा ? हमने यह प्रोविजन कर दिया है कि उस व्यक्ति से यह सारा खर्चा वसूल किया जाय जिसके हक में ज्युडिशियल फैसला हो।

हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय सस्ता मिले और वह जब ही मिल सकता है कि जो कॉम्प्लीकेटेड प्रोसिजर रखा है उसको दुरुस्त किया जाय। इसमें यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि तहसीलदार जो समेरी इन्क्वायरी करता है वही जायज उत्तराधिकारी को वह सम्पत्ति दिला सके।

सिलेक्ट कमेटी का कोरम पूरा नहीं हुआ और यदि आयन्दा भी उसी सिलेक्ट कमेटी में यह बिल रेफर किया जायगा तो फिर भी कोरम पूरा नहीं होगा, केवल इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि दूसरी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द यह बिल कर दिया जाय ताकि दूसरी सिलेक्ट कमेटी में जो सदस्य रखे जावेंगे वे इसमें दिलचस्पी लेंगे और कोरम पूरा हो जायगा। कोरम के आधार पर ही इसको नामंजूर करते हैं, यह तो ठीक है लेकिन किसी की संपत्ति पर अधिकार करने की तहसीलदार को छूट देना चाहते हैं यह पब्लिक इन्टरेस्ट में गैरकाबिल है और इसीलिए दूसरी सिलेक्ट कमेटी को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव मैंने पेश किया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—एक प्रस्ताव है कि इसको उसी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और दूसरा प्रस्ताव है कि इसको दूसरी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय;

[श्री दामोदरलाल व्यास]

मैं दोनों ही प्रस्तावों का विरोध करता हूं। यह एक छोटा सा बिल है। इस बिल में एक अर्से से अमेन्डमेन्ट्स आये पड़े हैं। मैं समझता हूं कि अमेन्डमेन्ट्स की कॉपीज़ माननीय सदस्यों को काफी अर्से से मिल गई है, वे बिल को और अमेन्डमेन्टस् को स्टडी कर चुके होंगे। सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था।

श्री अध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—जो सारी स्थिति थी उसको पेश कर दिया। दुबारा इसको सिलेक्ट कमेटी में पेश करने का सवाल पैदा नहीं होता है। जो अमेन्डमेन्ट्स आ चुके हैं सदन में उन पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्यों ने उन अमेन्डमेन्ट्स को और बिल को स्टडी कर लिया होगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जा सकता है।

अब रहा सवाल कि इसको वापिस दूसरी सिलेक्ट कमेटी के पास रेफर कर दिया जाय, मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जो बातें माननीय सदस्यों ने मोशन मूव करते वक्त बतायीं, जो खामियां बतायीं, उनको सदन में अमेन्डमेन्ट्स द्वारा बहस करके दूर किया जा सकता है। किसी अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करना है या नहीं करना है, उसकी आवश्यकता है तो उस तरह से अमेन्ड किया जा सकता है, अमेन्ड कर लेंगे। दुबारा इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अत: इसको विचारार्थ आज ही लिया जाय और पास किया जाय।

श्री **जवानसिंह**—माननीय अध्यक्ष, आज जिस बेरहमी के साथ मेरे प्रस्ताव को ठुकराया गया है उससे मुझे बड़ा दु:ख हुआ है। मुझे प्रत्युत्तर में केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस पर मैंने ३० अमेन्डमेन्ट्स तैयार किये थे। मुझे मालूम नहीं था कि आज ही इसको ले लिया जायगा, अन्यथा मैं उन तमाम को देख लेता। अभी अगर कन्सीडरेशन में लिया जाय तो मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि उन वाजिब संशोधनों को रख सकूंगा। आगे सदन की जैसी राय हो वैसा विचार किया जाय।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव राजस्थान राजगामी सम्पदा (नियमन) विधेयक के सम्बन्ध में श्री जवानसिंहजी ने रखा है कि उसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय...

दो प्रस्ताव समझे जाते हैं। क्या एक ही समझ लें। एक ही सिलेक्ट कमेटी...

श्री **भैरूंसिंह**—मुझे बोलना है।

श्री **अध्यक्ष**—एक ही समझा जाय या अलग अलग ?

श्री भैरूं सिंह—अलग अलग।

श्री अध्यक्ष—आप बोले किस पर थे फिर ?

श्री भैरूं सिंह—नई प्रवर समिति के बारे में।

श्री अध्यक्ष—बोल चुके।

श्री भैरूं सिंह—दुबारा तो कहूंगा।

(**विराम**)

ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष, यह बिल एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था। अब दुबारा बिल प्रवर समिति की रिपोर्ट के बिना सदन में आया। हम ऐसा समझते हैं कि पहले वाली प्रवर समिति या तो डिज़ोल्व कर दी गई है या डिज़ोल्व नहीं की है तो माननीय मंत्रीजी ने ऐसी रिपोर्ट पेश की है कि बिना सिलेक्ट कमेटी की राय के ही यह बिल सदन में ले लिया जाय। सदन में बिना सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के ही यह आये तो उसको अधिकार है कि उस पर विचार करे, यह मैं मानता हूं लेकिन पुराने कन्वेन्शन के खिलाफ होगा या नहीं ? इन दो चीजों को स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप जवाब दे चुके।

श्री भैरूं सिंह—पोइन्ट आफ ऑर्डर पर ही।

श्री अध्यक्ष—जवाब भी दे दीजिये।

श्री भैरूं सिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष, मैंने जो इस बल को नई प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा था उसके बारे में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा कोई विशेष दलील नहीं दी गई जिसका कि मैं उत्तर दूं। केवल यह कहा गया कि जो कुछ भी संशोधन आये हैं उन्हीं संशोधनों के आधार पर अगर आवश्यकता पड़ी तो इस बिल में परिवर्तन किया जा सकता है। जिन संशोधन के आधार पर माननीय राजस्व मंत्री का भाषण था मैं आपके और सदन की जानकारी के लिये निवेदन करूं। मैंने इस बिल के अन्दर संशोधन प्रस्तुत किये थे और उस बिल को अच्छी तरह देखा भी है। दुर्भाग्य से इस बिल को लेने की सूचना नहीं थी, आज अचानक यह बिल विचारार्थ लिया जायगा इसलिये हम न तो उन संशोधनों को साथ में लाये हैं और मैं यह किसी सदस्य से आशा भी नहीं कर सकता हूँ कि सब असेम्बली के सारे कागजों का बोझ सिर पर लादे हमेशा फिरता रहे। इसलिये हम इस बिल के लिये तेयार होकर नहीं आये, वैसी सूरत में मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रोटेक्शन सीक करने

[श्री भैरूंसिंह]

के लिये। एक सदस्य को जितनी इनकनवीनियेन्स हो सकती है बिल के बारे में। खास तौर से इसलिये मेरा यह आप से अर्ज करना है कि आप हम सदस्यों को प्रोटेक्शन दें। आज उन अमेंडमेंट्स को भी मैं नहीं लाया। और उन अमेंडमेंट्स के सपोर्ट में जिन जिन चीजों का संग्रह मैंने कर रखा था वह भी मैं न ला सका। इसलिये जहां हम कानून बना रहे हैं वहां हर सदस्य को मौका मिलना चाहिये कि कौनसे कानून में किस प्रकार का अमेंडमेंट करने से जनता का कितना हित हो सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो बिल आज यह लिया गया है वह किसी भी हालत में नहीं लिया जाना चाहिये। मैं आपसे अपने हक की रक्षा के लिये प्रार्थना करूंगा कि हमें इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसलिये मैंने इस मध्यम मार्ग को अपनाया था कि इस बिल को नई प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसे स्वीकार करें, एक अच्छा कनवेन्शन डालने के लिये इसे मन्जूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है उसके बारे में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जब इस सचिवालय द्वारा समय समय पर सूचना भेज दी जाती है और यह सूचित कर दिया जाता है कि अमुक अमुक विधेयक लिये जायेंगे इस सत्र में तो फिर कभी भी नोटिस देकर के वह विधेयक विचारार्थ लिया जा सकता है। माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की, इस विषय में कि वे तैयार होकर नहीं आये, तो मेरा उनसे यह कहना है कि उन्होंने किस आधार पर हमारे सचिवालय को ३०,३५ एमेंडमेंट्स भेजे? इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि हम इस विधेयक को विचारार्थ नहीं ले सकते। जबकि प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी तो वह चाहे जैसी ही हो, उसने विचार किया या नहीं किया; जब वह रिपोर्ट सदन के सामने उपस्थित हो गई तो ऐसी स्थिति में सदन उस रिपोर्ट का मालिक है। मैं नहीं समझता कि हमें फिर से इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये, इस सिलेक्ट कमेटी जिसने मीट नहीं किया और न जिसका कोरम ही पूरा हुआ।

कुं० श्री जसवन्तसिंहजी ने जो सुझाव दिया मैं समझता हूं...(राजस्व मंत्री से) आपकी भी इसमें कन्सेन्ट होगी?

श्री दामोदरलाल व्यास—As you please, Sir.

श्री अध्यक्ष—इस विधेयक को फिर नई सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाय जिसके निम्न सदस्य हों:

श्री उपाध्यक्ष चेयरमेन होंगे

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)

Page No.36

[श्री अध्यक्ष]

श्री चांदमल मेहता

श्री भैरू सिंह

श्री जसवन्तसिंह

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मैं लॉ जानने वाला नहीं हूं, इसलिये मेरी जगह जवानसिंहजी का नाम रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—इसमें श्री सन्तोषसिंह जी को भी रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—खामखा मेम्बरों की संख्या क्यों बढ़ाते हैं? पहले भी १६ मेम्बर्स की कमेटी बनी थी। जिन दो व्यक्तियों के अमेन्डमेंन्ट्स आये थे उनको इसमें रख दिया गया है। डिप्टी स्पीकर, मेम्बर इनचार्ज ऑफ दी बिल, श्री जवानसिंह इस तरह से पांच आदमी हो गये और ये आगामी सत्र के पहले दिन तक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास—दो तीन आदमी और रख दिये जांय।

श्री वेदपाल त्यागी, श्री श्यामलाल गोयल और श्री सोहनलाल भटनागर।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—एक श्री सन्तोषसिंह जी का भी नाम एड कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—All right.

Shri Vedpal Tyagi.

Shri Sohanlal Bhatnagar.

Shri Shyamlal Goel, and Shri Santosh Singh.

Yes, the Committee will cosist of the Deputy Speaker as Chairman, Sarva Shri Damodarlal Vyas, (member-in charge,) Chandmal Mehta, Bhairon Singh, Jawan Singh, Vedpal Tyagi, Sohanlal Bhatnagar, Syamlal Goel and Shri Santosh Singh.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि इस विधेयक को नयी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय?

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री भैंरू सिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करता हूं माननीय मुख्य मंत्री आजकल जो भूस्वामी संघ का आन्दोलन चल रहा है।.....

श्री अध्यक्ष—In the garb of point of order ?

श्री भैंरू सिंह—For the information of the House मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि भूस्वामियों का जो सत्याग्रह चल रहा है उसके बारे में सदन की जानकारी के लिये वे कुछ वक्तव्य दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री भैंरू सिंह—सदन की जानकारी के लिये माननीय मुख्य मंत्री भाषण दें।

श्री अध्यक्ष—But you cannot compel the Chief Minister for a statement. So we adjourn sine die.

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १० बज कर ५ मिनट मध्यान्ह पूर्व पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक: २३ दिसम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव
राजस्थान विधान सभा।

Page No.38

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३१६ का उत्तर देखिये)

१ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट खनिज उत्पादक समिति, बीकानेर	३८०१)	
२ करोली श्रमिक पाषाण उत्पादक सहकारी समिति, करोली	३७२०)	
३ करोली श्रमिक सहकारी समिति, करोली	११,०००)	
४ राजस्थान इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी रामगंज मंडी	६८००)	८०००)
५ लेबर कॉट्राक्ट कोऑपरेटिव सोशायटी लि०, गुमानपुरा	१५००)	१३००)
६ सहरिया बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०, बैलवाड़ा	४०००)	२०००)
७ फतहपुर बहुधंधी सहकारी समिति लि०, फतहपुर	७०७५)	७०००)
(तहसील बारां)		
८ स्यावदा आदिवासी कृषि बहुधंधी सहकारी समिति लि० स्यावदा ।	एम०सी०एल० वैधानिक कारणों से तय नहीं हो सका ।	
९ राजपुर सहरिया बहुधंधी सहकारी समिति लि०, राजपुरा	,,	
१० सुहास खेडवाल बहुधंधी सहकारी समिति लि०, सुहांस	,,	
११ चमनपुरा लेबर कन्ट्रक्ट सहकारी समिति, चमनपुरा	२२००)	
१२ आमेट को-ऑपरेटिव लेवर कन्ट्राक्ट सहकारी समिति लि०, आमेट	६०००)	
१३ कांकरोली खनिज उद्योग सहकारी समिति, कांकरोली		
१४ भिंडर कोऑपरेटिव लेवर कन्ट्रक्ट सहकारी समिति भिंडर	६०००)	
१५ राजसमंद भवन निर्माण सहकारी समिति राजसमंद,	१३०००)	५०००)
१६ डूंगरपुर बहुधंधी सहकारी समिति लि०, डूंगरपुर	१२०००)	
१७ प्रतापगढ़ यादव निर्माण सहकारी समिति लि०, प्रतापगढ़	१२०००)	
१८ सनवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति सनवाड	१०६६०)	
१९ भादू किसान सहकारी समिति भादू		

परिशिष्ट २

(वे तांराकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्न कर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

३२०. (२७।एस. आर. एम.) श्री भैरूसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर (१६)—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जून सन् १९५५ में कस्बा बगड़ (जिला झुंझुनू) में महादेव हरिजन, पुत्र कालूराम हरिजन, निवासी बगड़, को हाजी जमाल की निष्कान्त संपत्ति में से साईवान के चद्दर उतारते कुछ व्यक्तियों ने पकड़ लिया और सम्बन्धित कस्टोडियन को इसकी सूचना दी ?

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने कस्बा बगड़ में जो अभी अपना नया मकान बनाया है उसमें निष्कांत संपत्ति में से काफी सामान निकाल कर काम में लिया है ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न

३३१. (३६।एस.आर.एम.) श्री नारायण लाल, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ११०—क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर डिविजन में सन् १९५० से सन १९५५ तक कितनी सहकारी संस्थाऐ खुलीं ?

(ख) इनमें से कितनी बन्द हो गई हैं और कितनी चालू हैं ?

[श्री नारायण लाल]

(ग) कितने सोसाईटीज़ के मेम्बरों पर मुकदमे चल रहे हैं ?

(घ) सीकर जिले की कौन कौन सी सोसाइटी के मैम्बरों पर गबन के मुकदमे चल रहे हैं और वे किस स्टेज पर हैं ?

उत्तर

(क) जयपुर डिवीजन में सन् १९५० ई० से १९५५ तक कुल १०७६ सहकारी समितियां खुलीं ।

(ख) उपरोक्त समितियों में से ४७ सहकारी संस्थायें बन्द हो गईं और १०२९ चालू हैं ।

(ग) ६ सहकारी समितियों के सदस्यों पर मुकदमें चल रहे हैं ।

(घ) सीकर जिले में निम्नलिखित सहकारी समितियों के सदस्यों पर गबन के मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी कार्यवाही चालू है !

(१) गृह उद्योग बुनकर सहकारी समिति लि०, सीकर ।

(२) जेरठी दादिया सहकारी ग्राम बैंक लि०

(३) लछमनगढ़ सहकारी भंडार लि०

(४) सीकर कोऑपरेटिव स्टोर लि०

(५) हनुमानपुरा सहकारी भंडार लि०

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३२१ का उत्तर देखिये)

(क) राजस्थान निर्माण के बाद सहकारी विभाग द्वारा जो अनुदान की रकम तमाम युनिटों में हर साल दी गई उसका व्यौरा निम्न प्रकार हैं:—

क्र० सं०	नाम यूनिट	बजट जिसमें से अनुदान दिया गया।	१९५०–५१	५१–५२	५२–५३	५३–५४	५४–५५	५५–५६
१.	अलवर	सहकारी वि०	३५००)	५८८८)	५१२)	२०००)	२८०१)	—
		सोशियल वेलफेयर डिपा०	—	—	—	२००)	—	—
		योग	३५००)	५८८८)	५१२)	२२००)	२८००)	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२	भरतपुर	सहकारी वि०	३०००)	—	४२००)	१०००)	२७००)	—
३	कोटा	सहकारी वि०	६४००)	—	५३००)	१०००)	१०००)	—
		सोशियल वैल० वि०	—	—	—	८००)	४५००)	—
		योग	६४००)	—	५३००)	१८००)	५५००)	—
४	गंगानगर	सहकारी वि०	६०००)	—	१५००)	३०००)	३८००)	—
५	उदयपुर	सहकारी वि०	—	—	२०००)	२०००)	४२००)	—
		सो० वै० वि०	—	—	१८५००)	५६५०)	४३७५)	—
		योग	—	—	२०,५००)	७६५०)	८५७५)	—
६	जयपुर	सहकारी वि०	४०००)	५००)	५०००)	१२५००)	१४१००)	१५००)
		सो० वै० विभाग	—	—	—	८००)	२७५०)	—
		योग	४०००)	५००)	५०००)	१३,३००)	१६८५०,	१५००)
७	जोधपुर	सहकारी वि०	३०००)	—	२१००)	१०००)	३३००)	—
		सो० वै० विभाग	—	—	—	—	३७५०)	—
		पुनः संस्थापन वि०	—	—	—	१००००)	—	—
		योग	३०००)	—	२१००)	११०००)	७०५०)	—

(ख) सूची संलग्न है।

सूची उन समितियों की जिन्हें अनुदान राजस्थान निर्माण के बाद दिया गया

क्र० सं०	नाम यूनिट	सन्	नाम समिति जिनको रकम दी गई	रकम अनुदान जो दी गई	कार्य जिसके लिए अनुदान दिया गया
१	अलवर	१९५०-५१	अलवर सें० कोप० इ० एण्ड मा० फेडरेशन	३५००)	गोदाम बनाने के लिए
२	,,	१९५१-५२	अलवर सें० कोप० बैंक लि०	५८८८)	प्रबन्ध बैंक
३	,,	१९५२-५३	सेक्रेट्रीज़ पे फण्ड	५१२)	शिक्षण प्रबन्ध
४	,,	१९५३-५४	अलवर सें० कोप० बैंक लि० अलवर	२०००)	प्रबन्ध बैंक।

१	२	३	४	५	६
५	,,	१९५३-५४	शू. मेकर सहकारी समिति, अलवर	२००)	खरीदने औजार
६	,,	१९५४-५५	अलवर सेन्ट्रल कोप० बैंक, अलवर	२०००)	प्रबन्ध बैंक
७	,,	,,	अलवर सेन्ट्रल कोप० इ० एण्ड मा० फेडरेशन	३००)	प्रबन्ध समिति
८	,,	,,	मौजपुर कोपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड केडिट सो०	५००)	बीज गोदाम
९	भरतपुर	१९५०-५१	पंचायतघर, भरतपुर	३०००)	पंचायतघर बनाने
१०	,,	१९५२-५३	सात चमड़ा उद्योग सहकारी समितियां	७००)	उत्थान हेतु
११	,,	,,	पंचायतघर, बहेज	५००)	पंचायतघर निर्माण
१२	,,	,,	सेक्रेट्रीज़ पे फण्ड	१५००)	शिक्षण प्रबन्ध
१३	,,	,,	भरतपुर सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०	१५००)	बैंक प्रबन्ध
१४	,,	१९५३-५४	सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, भरतपुर	१०००)	,,
१५	,,	१९५४-५५	भरतपुर सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, भरतपुर	२०००)	,,
१६	,,	,,	सागर पारा चमारान उत्पादक सह० स०, धौलपुर	२००)	प्रबन्ध समिति
१७	,,	,,	चमारान कोप० सो०, बयाना	२००)	,,
१८	,,	,,	हरिजन हड्डी सहकारी समिति लि०, भरतपुर	३००)	,,
१९	कोटा	१९५०-५१	सेक्रेट्रीज़ पे फण्ड कोटा	८०००)	सहायतार्थ
२०	,,	,,	मांगली वेटर फार्मिंग सहकारी स०	१४००)	मरम्मत ट्रेक्टर

Page No.43

१	२	३	४	५	६
२१	कोटा	१६५२-५३	चार हरिजन सहकारी समितियां	३००)	उत्थान हेतु
२२	,,	,,	मांगली बेटर फार्मिंग सहकारी समिति	५००)	अकाल सहायतार्थ
२३	,,	,,	मोतीपुरा बेटर फार्मिंग सहकारी समिति	५००)	,,
२४	,,	,,	मतुन्डा बेटर फार्मिंग सहकारी समिति	५००)	,,
२५	,,	,,	राजस्थान प्रथम सहकारी सम्मेलन, कोटा	२०००)	प्रबन्ध हेतु
२६	,,	,,	सेक्रेटेरीज़ पे फण्ड कोटा	१५००)	शिक्षण प्रबन्ध
२७	,,	१६५३-५४	बहुउद्देशीय सहकारी समिति, जामिडपुरा	५००)	प्रबन्ध समिति
२८	,,	,,	कोप० क्रे० एण्ड थ्रि० सोसाइटी, नौहर	५००)	,,
२६	,,	,,	कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति, नौहर	४००)	,,
३०	,,	,,	चार हरिजन सहकारी समितियां कोटा	४००)	,,
३१	,,	१६५४-५५	बीजगोदाम, अन्ता	५००)	निर्माण गोदाम
३२	,,	,,	कोटा कोप० इन्सटीट्यूट	५००)	वाचनालय हेतु
३३	,,	,,	सीरिया बहुधंधी सहकारी समिति लि०	२०००)	प्रारम्भिक काल में प्रबन्ध समिति हेतु

१	२	३	४	५	६
३४	कोटा	,,	श्री बजरंग बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)	प्रबन्ध समिति
३५	,,	,,	श्री आदिवासी सहकारी समिति लि०	६२५)	,,
३६	,,	,,	श्री दीनबन्धु सहकारी समिति	६२५)	,,
३७	,,	,,	अमर सोपरिया बहुधंधी सहकारी समिति	६२५)	,,
३८	,,	,,	श्री शंकरखेड़ा सहकारी समिति	६२५)	,,
३९	गंगानगर	१९५०-५१	हरिजन कोप० सोसाइटी, बीकानेर	१०००)	खरीदने ऊंट
४०	,,	,,	कोप० लेन्ड मोर्टगेज बैंक, गंगानगर	५०००)	भवन निर्माण
४१	,,	१९५२-५३	सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, बीकानेर	१५००)	बैंक प्रबन्ध
४२	,,	१९५३-५४	सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, बीकानेर	१०००)	,,
४३	,,	,,	सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि० गंगानगर	१०००)	,,
४४	,,	,,	गंगानगर कर्मचारियान विश्राम गृह स० स०	५००)	फर्नीचर
४५	,,	,,	सेन्ट्रल कोप० इं० मा० फेडरेशन लि०, गंगानगर	५००)	प्रबन्ध समिति
४६	,,	१९५४-५५	सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, गंगानगर	२०००)	काउन्टर बनाने

Page No.45

१	२	३	४	५	६
४७	गंगानगर	,,	गंगानगर चमारान उद्योग सहकारी समिति	३००)	प्रबन्ध समिति
४८	,,	,,	गंगानगर कर्मचारी विश्राम गृह समिति	५००)	,,
४९	,,	,,	हरिदास की ढाणी जीवन सुधार सहकारी स०	२००)	,,
५०	,,	,,	नवयुग जीवन सुधार सहकारी समिति, गंगानगर	२००)	,,
५१	,,	१९५४-५५	संग्री हरिजन उत्पादक स० समिति	३००)	प्रबन्ध समिति
५२	,,	,,	हरिजन बहुधंधी सहकारी समिति, कर्णपुर	३००)	,,
५३	उदयपुर	१९५२-५३	दस बरार सहकारी समितियां, भीम	१०००)	उत्थान हेतु
५४	,,	,,	भीम बैंकिंग यूनियन, भीम	१०००)	बनाने अतिथि गृह
५५	,,	,,	श्री बांसवाड़ा उत्पादक सहकारी समिति लि०	८५०)	प्रारम्भिक काल में समिति का कार्य चलाने हेतु
५६	,,	,,	सरवान बहु क्रय कारिणी स० समिति	८५०)	
५७	,,	,,	बागी डोरा बहुधंधी स० समिति लि०	८५०)	
५८	,,	,,	बड़ोदिया बहु क्रय कारिणी सहकारी समिति लि०	८५०)	,,

Page No.46

१	२	३	४	५	६
५९	उदयपुर	,,	चांदजी का गुड़ा बुनकर सहकारी समिति	८५०)	,,
६०	,,	,,	गोपीनाथजी का गुड़ा सहकारी समिति	८५०)	,,
६१	,,	,,	घाटौल बहुधंधी सहकारी समिति लि०	८५०)	,,
६२	,,	,,	दानपुर बहुधंधी सहकारी समिति लि०	८५०)	,,
६३	,,	,,	बदवास बड़ी सहकारी समिति लि०	८५०)	,,
६४	,,	,,	गांधी कोप० सो०, सीमलवाड़ा	८५०)	,,
६५	,,	,,	मालपुरा बहुधंधी सहकारी समिति लि०	८५०)	,,
६६	,,	,,	उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, डूंगरपुर	८५०)	,,
६७	,,	,,	सियाल दारी बहुधंधी सहकारी समिति लि०	८५०)	,,
६८	,,	,,	बोखला बहुधंधी सहकारी समिति लि०	८५०)	,,
६९	,,	,,	गांवाड़ी अहरा सहकारी समिति लि०	८५०)	,,
७०	,,	,,	भौथारी पाल बहुधंधी सहकारी समिति	८५०)	,,
७१	,,	,,	करवदा बहुधंधी सहकारी स० लि०	८५०)	,,

१	२	३	४	५	६
७२	उदयपुर	,,	आसपुर बहुधंधी सहकारी स० लि०	८५०)	,,
७३	,,	,,	सबला ताड़गुड़ उत्पादक सहकारी स०	८५०)	,,
७४	,,	,,	फलौज ताड़गुड़ उत्पादक सहकारी स०	८५०)	,,
७५	,,	,,	बनवासी सहकारी स०, अरनौद	८५०)	,,
७६	,,	,,	वस्त्र उत्पादक सहकारी स०, प्रतापगढ़	८५०)	,,
७७	,,	१९५३-५४	गांमड़ी बहुधंधी सहकारी समिति लि०	४२५)	,,
७८	,,	,,	शीसोद ,, ,,	४२५)	,,
७९	,,	,,	गेंन्जी ,, ,,	४२५)	,,
८०	,,	,,	गुमानपुरा ,, ,,	४२५)	,,
८१	,,	,,	मंडा ,, ,,	४२५)	,,
८२	,,	,,	खेड़ी ,, ,,	४२५)	,,
८३	,,	,,	डूंगर पुर ,, ,,	४२५)	,,
८४	,,	,,	रस्ता ,, ,,	४२५)	,,
८५	,,	,,	पोहड़ी बड़ी ,, ,,	४२५)	,,
८६	,,	,,	सुरान्ता ,, ,,	४२५)	,,
८७	,,	,,	रामपुर ,, ,,	४२५)	,,
८८	,,	,,	फतेहनगर किसान ,,	४२५)	,,
८९	,,	,,	खैरोट ,, ,,	४२५)	,,
९०	,,	,,	श्री यादव निर्माण सहकारी समिति,प्रतापगढ़	४२५)	,,

१	२	३	४	५	६
९१	उदयपुर	१९५३-५४	गांधी सामुहिक कृषि सहकारी समि०, फतेह नगर	५००)	खरीदने कृषि औजार।
९२	,,	,,	सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, भीलवाड़ा	१०००)	प्रबंध बैंक
९३	,,	,,	बूट मेकर कोप० सो० लि० उदयपुर	५००)	औजार खरीदने
९४	,,	१९५४-५५	भीलवाड़ा सेन्ट्रल कोप० बैंक	२०००)	प्रबन्ध बैंक
९५	,,	,,	बांसवाड़ा ,, ,,	२०००)	,,
९६	,,	,,	सरवाड़ बहुधंधी सहकारी समिति लि०	२००)	,, प्रबंध समिति
९७	,,	,,	धरती देवी बहुधंधी सहकारी समिति लि०	६२५)	,, ,,
९८	,,	,,	आदि वासी ,,	६२५)	,,
९९	,,	,,	फल गोयरा ,,	६२५)	,,
१००	,,	,,	लसोड़िया ,,	६२५)	,,
१०१	,,	,,	श्यारदा आदिवासी ,,	६२५)	,,
१०२	,,	,,	रोब्रिया ,,	६२५)	,,
१०३	,,	,,	कोटड़ा	६२५)	,,
१०४	उदयपुर	१९५०-५१	खादी उत्पादक सहकारी समिति, हिन्डौन	१०००)	,, खरीदने कार्डिंग मशीन
१०५	,,	,,	,, बैराठ	१०००)	,,
१०६	,,	,,	,, शाहपुरा	१०००)	,,
१०७	,,	,,	लछमन शाह कोप० फार्मिंग सो०, दौलतपुरा	१०००)	,, मरम्मत कुएं
१०८	,,	१९५१-५२	,, ,,	५००)	,,

१	२	३	४	५	६
१०६	जयपुर	१६५२-५३	ज़यपुर सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०	१५००)	,, प्रबन्ध गैंक
११०	,,	,,	लछमन शाह कोप० सोसाइटी	५००)	,, अकाल सहायतार्थ
१११	,,	,,	हिन्डोन खादी उत्पादक सहकारी समिति	१०००)	,, खरीदने मशीन
११२	,,	,,	बैराठ ,, ,,	१०००)	,,
११३	,,	,,	शाहपुरा खादी उत्पादक सहकारी समिति	१०००)	खरीदने मशीन
११४	,,	१६५३-५४	अन्नपूर्णा सहकारी समिति लि०, जयपुर	१०००)	प्रबन्ध समिति
११५	,,	,,	सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, जयपुर	१०००)	प्रबन्ध बैंक
११६	,,	,,	राजस्थान स्टेट कोप० बैंक लि०, जयपुर	६०००)	,,
११७	,,	,,	सेन्ट्रल कोप० मा० फैडरेशन, जयपुर	१५००)	प्रबन्ध समिति
११८	,,	,,	निवाई रेगर सहकारी समिति लि०	४००)	,,
११६	,,	,,	म्युनिसिपल कोप० क्रे० थि० सोसायटी, जयपुर	४००)	,,
१२०	,,	१६५४-५५	ढाणी मीना को० विलेज बैंक	१०००)	,,
१२१	,,	,,	रेनवाल माजी टेनरस कोप० सोसायटी	२००	,,

१	२	३	४	५	६
१२२	जयपुर	१९५४-५५	बलवा टेनरस को. सो.	२५०)	प्रबन्ध समिति
१२३	,,	,,	जयपुर चर्म उद्योग सहकारी समिति	३००)	,,
१२४	,,	,,	बड़ा गांव रेगर सहकारी समिति	२५०)	,,
१२५	,,	,,	मेहवा हरिजन बहुधंधी सहकारी समिति लि०	२५०)	,,
१२६	,,	,,	खावंदा नया मौजा बहुधंधी सहकारी समिति	३००)	,,
१२७	,,	,,	बस्सी टेनरस सहकारी समिति लि०	२००)	,,
१२८	,,	,,	राजस्थान स्टेट कोपरेटिव बैंक लि०, जयपुर	५०००)	प्रबन्ध बैंक
१२९	,,	,,	सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, जयपुर	२०००)	,,
१३०	,,	,,	लछमन शाह को फार्मिंग सोसायटी, दौलतपुरा	१०००)	नुकसानपूर्ति
१३१	,,	,,	केलिको प्रिंटर्स सहकारी समिति, सांगानेर	४००)	फर्निचर
१३२	,,	,,	कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूट, जयपुर	५००)	प्रबन्ध
१३३	,,	,,	महारानी गर्ल्स पब्लिक स्कूल सहकारी समि०	२००)	गायन यन्त्र खरीदने
१३४	,,	,,	कुटीर उद्योग सहकारी समिति, जयपुर	२५०)	प्रबन्ध

१	२	३	४	५	६
१३५	जयपुर	१९५४-५५	आदर्श उद्योग सहकारी समिति जयपुर	२५०)	प्रबंध
१३६	,,	,,	चित्रगुप्त कॉप० सो० लि० जयपुर	१०००)	,,
१३७	,,	,,	केन्द्रीय सर्वोदय संघ लि०, जयपुर	५००)	,,
१३८	,,	,,	सेन्ट्रल कोप० मा० यूनियन, सांगानेर	१५००)	,,
१३९	,,	,,	,, ,, बस्सी	१५००)	,,
१४०	,,	१९५५-५६	राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, जयपुर	१५०००)	,,
१४१	जोधपुर	१९५०-५१	पंचायत घर जोधपुर,	३०००)	पंचायत घर बनाने
१४२	,,	१९५२-५३	हरिजन सहकारी समिति, जोधपुर	२००)	उत्थान हेतु
१४३	,,	,,	सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, जोधपुर	१५००)	प्रबन्ध बैंक
१४४	,,	,,	पंचायत घर, बिलाड़ा	५००)	पंचायत घर बनाने
१४५	,,	१९५३-५४	सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि०, जोधपुर	१०००)	प्रबन्ध बैंक
१४६	,,	,,	सांस बहुधंधी सहकारी समिति लि०, जोधपुर	१००००)	स्थापित करने हेतु
१४७	,,	१९५४-५५	सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, जोधपुर	२०००)	फर्निचर
१४८	,,	,,	राजस्थान टूल्स मेन्यू० सहकारी समिति, नागौर	५००)	खरीदने औजार

Page No.52

१	२	३	४	५	६
१४६	जोधपुर	१६५४—५५	खिवान्दी कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी	५००)	खरीदने औजार
१५०	,,	,,	गंगा चर्म उत्पादक सहकारी समिति, विशालपुर	३००)	आर्थिक उत्थान
१५१	,,	,,	बरवाड़ा धौलिया रावतान बहुधंधी सह० स० लि०	६२५)	,,
१५२	,,	,,	सीरिया बहुधंधी ,,	६३५)	,,
१५३	,,	,,	ग्रेसियन " ,,	६२५)	,,
१५४	,,	,,	धानेराय " ,,	६२५)	,,
१५५	,,	,,	सादड़ी मीना " ,,	६२५)	,,
१५६	,,	,,	भूला " ,,	६२५)	,,